भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2300
दिनांक 12 फरवरी, 2026

बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि हेतु मुआवजा

†2300. **श्री उम्मेदा राम बेनीवालः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को मुआवजा दिये जाने की स्थिति की समीक्षा की है जिनकी भूमि बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई है, यदि हां, तो दावेदारों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितना मुआवजा संवितरित किया गया है; और

(ख) क्या देश में अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी इसी प्रकार की मुआवजे की व्यवस्था मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परियोजना के रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जलाशय (नाचना और रिफाइनरी), और टाउनशिप के लिए ज़मीन राजस्थान सरकार से 99 साल के पट्टे पर ली गई है। गुजरात के मुंद्रा में कच्चा तेल टर्मिनल (सीओटी) के लिए, ज़मीन निजी कंपनी से 30 साल के पट्टे पर ली गई है। एचआरआरएल परियोजना के लिए पाइपलाइन उपयोग का अधिकार (आरओयू) के आधार पर बिछाई गई हैं, जिसमें ज़मीन के मालिकाना हक का स्थानांतरण शामिल नहीं है। पीएंडएमपी अधिनियम,1962 के प्रावधान के अनुसार एक बार मुआवज़ा दिया जाता है। चूंकि ज़मीन का शीर्षक हस्तांतरण नहीं हुआ है, इसलिए ज़मीन खोने पर मुआवज़े की स्थिति का सवाल ही नहीं उठता।

*****